न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / 45 / 2015

अशर्फी पुत्री जीवन जाति जाट निवासी ग्रांम पिपरऊ तहसील नदबई हाल आबाद उटारदा तहसील नदबई

....अपीलान्ट

बनाम

1–देवी सिंह पुत्र जीवन
2–आशा पत्नी प्रताप } हाल आबाद पालतू तहसील नगर
3–नगीना पत्नी मोहनसिंह
4–गुडडी पत्नी बच्चूसिंह पुत्री देवी सिंह
5–रानी पत्नी कुवरपाल । जाति जाट निवासी रायसीस तहसील नदबई
6– संजय पत्नी वीरपाल । जिला भरतपुर

.....रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरुद्व आदेश तहसीलदार भरतपुर दिनांक 16.10.2015 बाबत नामान्तकरण संख्या 748 बाके ग्रांम पिपरऊ तहसील नदबई ।

———

उपस्थितः–
1–श्री पुरुषोत्तम मुदगल,अभिभाषक अपीलान्ट
2–श्री मोहनसिह राना, अभिभाषक रेस्पो0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आदेश दिनांक 16.01.2018

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो. व खिलाफ आदेश तहसीलदार नदबई नामान्तकरण संख्या 748 ग्रांम पिपरऊ दिनांक 16.10.2015 के पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश में विवादित नामान्तकरण रेस्पो. के नाम स्वीकार किया गया है। जिस से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी की गई। उभय पक्ष की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित आये। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि विवादित आराजी के हक हकूकों को लेकर अपीलान्ट ने देवी सिंह वगे0 के खिलाफ एस.डी.ओ. नदबई के दावा किया हुआ है। जिसमें एसडीओ नदबई ने दिनांक 11.9.2015 को देवी सिह के खिलाफ रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु स्टे जारी किया गया है। उन्होने

.....2

बताया कि स्टे के खिलाफ देवी सिंह ने न्यायालय आर.ए.ए. भरतपुर में अपील पेश की गई जिसमें न्यायालय आर.ए.ए. भरतपुर ने अपने आदेश दिनांक 11.9.2015 में अधिनस्थ न्यायालय को प्रकरण एक माह में निर्णय किये जाने हेतु निर्देश दिये गये थे। योग्य अभिभाषक का तर्क है कि अधिनस्थ न्यायालय एस.डी.ओ.नदबई के स्टे को खारिज नहीं किया गया है। तहसीलदार नदबई ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 748 विधि विरुद्व स्वीकार कर लिया। तहत न्यायालय ने आर.ए.ए. न्यायालय के आदेश की गलत रुप से व्याख्या कर अपीलाधीन आदेश विधि विरुद्ध पारित कर दिया गया। ऐसा आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के खिलाफ होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी तर्क है कि तहत न्यायालय को आर.ए.ए. के निर्देशानुसार एस.डी.ओ. के निर्णय का इन्तजार करना चाहिये था। उन्होने ने बताया कि देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र म्याद अधि. धारा 5 पेश किया गया है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने की दिनांक से अपील अन्दर म्याद मानी जाकर अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

योग्य अभिभाषक रेस्पो ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि विवादित आराजी को लेकर सक्षम न्यायालय में पक्षकारान के मध्य दावा विचाराधीन है। उन्होने बताया कि एस.डी.ओ. नदबई द्वारा दिये गये स्टे आदेश दिनांक 20.8.2015 के खिलाफ माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी के यहॉ रेस्पो देवी सिंह द्वारा अपील पेश की गई, न्यायालय आर.ए.ए. द्वारा अपने निर्णय दिनांक 11.9.2015 में सहायक कलक्टर नदबई द्वारा इकतरफा में दिये गये स्टे .दिनांक 15.7.15 की पालना स्थगित कर दी गई है। तहसीलदार नदबई ने स्टे खत्म होने के बाद ही अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 748 स्वीकार किया गया है, जिसमें तहसीलदार ने कोई त्रुटि नहीं की है। अपील म्याद बाहर पेश की गई है। अपील गलत तथ्यों के आधार पर पेश की गई है। उनका तर्क है कि जब एस.डी.ओ. द्वारा जारी स्टे आदेश को अपर न्यायालय द्वारा खत्म कर दिया गया है और आगे कोई स्टे नहीं है। रजिस्टर्ड दानपत्र के आधार पर नामान्तकरण स्वीकार किया गया है। जो विधि अनुरुप है। अपील खारिज की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 748 ग्रांम पिपरऊ तारीखी 16.10.2015 का अवलोकन किया गया। प्रथमतः अपील की म्याद पर विचार किया गया। प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा–5 न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मैरिट पर विचार किया गया। नामान्तकरण के कॉलम संख्या 14,व 16 में हो रहे इन्द्राज से स्पष्ट है कि विवादित नामान्तकरण रजिस्टर्ड दानपत्र के आधार पर पटवारी हल्का ने दिनांक 12–1–15 को दर्ज किया गया है जो तहसीलदार नदबई ने दिनांक 16–10–2015 को स्वीकार किया गया है।यह तथ्य दोनों पक्ष स्वीकारते हैं कि विवादित आराजी बाबत एस.डी.ओ. नदबई द्वारा दिनांक 15.7.15 को स्टे जारी किया गया है।

.....3

स्टे के खिलाफ देवीसिंह रेस्पो.ने एक अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के यहॉ पेश की गई। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.9.2015 में कथन किया है कि :–

> ".....अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित भी हो चुके हैं ऐसी स्थिति में प्राईमाफेसी केस अपीलांट के पक्ष में जाहिर होने से अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.7.15 न्यायालय ए.सी.एम. नदबई की पालना स्थगित की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिए जाते हैं कि दोनों पक्षों को सुनवाई की जाकर एक माह में पुनः कानून सम्मत आदेश पारित करें.....।"

उक्त विवेचन से यह निर्विवाद है कि ए.सी.एम. नदबई द्वारा जारी स्टे दिनांक 15.7.15 को माननीय आर.ए.ए.भरतपुर ने स्थगित करते हुये दोनों पक्षों को सुनकर एक माह में निर्णय किये जाने के निर्देश (ए.सी.एम.नदबई) अधीनस्थ न्यायालय को दिये गये हैं। मेरी विनम्र राय में तहसीलदार नदबई को न्यायालय ए.सी.एम.नदबई के आदेश का इन्तजार करना चाहिये था। परन्तु ऐसा ना कर हल्का पटवारी ने दिनांक 12.10.15 को अपीलाधीन नामान्तकरण के कॉलम संख्या 16 में अंकित किया है :–

> ".....मुताविक दानपत्र दाखिल खारिज दर्ज किया गया उक्त खातेदारी पर ए.सी.ई.एम. साहब का स्थगन आदेश था किन्तु आर.ए.ए.साहब भरतपुर द्वारा स्थगन दिनांक 21.9.2015 को स्थिगित किया गया अतः दाखिल खारिज दर्ज कर वास्ते जॉच व निर्णय श्रीमान जी की सेवा में पेश है.....।"

इससे यह भी स्पष्ट है कि हल्का पटवारी ने सारी कार्यवाही जल्द बाजी में की गई है। तहत न्यायालय को स्टे की बाबत ए.सी.एम. नदबई के आगामी आदेश के बाबत कम से कम एक माह का इन्तजार करना चाहये था। इस प्रकार तहसीलदार नदबई द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत रहता है। ऐसे आदेश को हम समर्थन योग्य नहीं मानते हैं। अस्तु अपील स्वीकार किया जाना उचित पाते हैं। अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 748 तारीखी 16.10.2015 निरस्त किया जाता है। तहसीलदार नदबई को निर्देशित किया जाता है कि विचाराधीन प्रकरण में सक्षम न्यायालय द्वारा पारित निर्णयानुसार कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 16–01–2018 को सुनाया गया।

(डॉ.एन.के.गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official